

नगरपालिका विभागाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
हाल का लागि-राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर, राजस्थान



61

क्रमांक:- 1

दिनांक: 2-1-83

- साट संख्या:-
- 1- 1/021421
 - 2- 1/021731
 - 3- 1/021741
 - 4- 1/021751
 - 5- 1/021761
 - 6- 1/021771
 - 7- 1/021781
 - 8- 1/021791
 - 9- 1/021801
 - 10- 1/021811
 - 11- 1/021821
 - 12- 1/021831
 - 13- 1/021861
 - 14- 1/021871
 - 15- 1/021881
 - 16- 1/021891
 - 17- 1/021931
 - 18- 1/021941
 - 19- 1/021971
 - 20- 1/021991
 - 21- 1/0211021
 - 22- 1/02111पार्ट-131

See
try

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि
का आंशिक अवाई योजना मानसरोवर-प्रथम की उपरोक्त
बादों की कुल भूमि 425बीघा 02निस्वा ।

क्रमांक:-2---



---:2:---

वीठासीन अधिकारी:- 1- श्री पी.एस. ठाकूर, विशेष अधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।

सहकारानु:-

- 1- भूमि के सम्बन्धित खातेदार एवं न्यू रिकॉर्डिंग गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर जरिये मैत्री।
- 2- राजस्थान आवासन मण्डल जरिये श्री एन.के.ओ.सी., सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, एवं श्री जे.के.ओ.सी., एडमोकेट।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय कॉलोनी ग्राम झालानाचौड़, देवरी, मानपुर उर्फ गोल्यावास जिला जयपुर की 2570 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जितकी अधिसूचना क्रमांक: प071721नविआ/11/81 दिनांक 12-1-82 को जारी की गई, जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 13-1-82 को प्रकाशित की गई है।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9"सी" उपधारा 111 में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक: प071721नविआ/11/81 दिनांक 9-2-82 को राजस्थान राजपत्र में भाग 1ख में दिनांक 9-2-82 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया।

3- धारा 17141 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9111 के नोटिस दिनांक 5-5-82 को जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस के पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गयी।

विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर



-----:3:-----

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित छातेदारों को अधिनियम की धारा 9131 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित छसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से निम्नलिखित भूमि का अवार्ड दिया जा रहा है । अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	बाद संख्या	नाम छातेदार	छसरा नं.	रकबा वीघा बिस्वा
1-	1/821421	श्री रामसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह ग्राम झालानाचौड ।	1	40 - 00
2-	1/821731	श्री देवनारायण पुत्र हरदेव	321 330	3 - 10 7 - 03 ----- 11 - 01
3-	1/821741	श्री सुखा पुत्र मुन्ना ग्राम देवरी ।	322 340	3 - 17 8 - 00 ----- 11 - 17
4-	1/821751	श्री नाथू पुत्र तालू ग्रामदेवरी	323	12 - 07
5-	1/821761	श्री रघुनाथ पुत्र विरदा 1/2 रामनारायण पुत्र रघुनाथ ग्राम देवरी ।	324	12 - 08
6-	1/821771	श्री लादू पुत्र प्रताप 1/2, सोहन पाँच्या, छोटू, भगवानसहाय पुत्र हरदत्त, प्रभूनाथ चौधू ना. ता. तंरक्षक नैना देवा चौधू ग्राम देवरी ।	326	11 - 00
7-	1/821781	श्री विरदा पुत्र पेमा ग्रामदेवरी	331	11 - 15
8-	1/821791	श्री किशनलाल पुत्र राममाल 1/3 लादूराम पुत्र किशनलाल ग्रामदेवरी	332	23 - 10

विशेष अधिकारी
राज्य विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

--- :: 4 :: ---



- | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- |
|-----|----------|---|-----|---------|----|
| 9- | 1/821801 | ब्रूँथा पुत्र रामलाल 1/3, गोकुल
पुत्र ब्रूँथा 1/3 भूरा पुत्र ब्रूँथा 1/3
ग्राम देवरी । | 333 | 26 - 05 | |
| 10- | 1/821811 | श्री नारायण, मोदू पुत्र सुखा
ग्राम देवरी । | 335 | 22 - 07 | |
| 11- | 1/821821 | श्री किशोर, रामू, लाला, मोदू,
पुत्र मूल्या, ग्राम देवरी । | 337 | 11 - 10 | |
| 12- | 1/821831 | चौधु पुत्र भुलाना ग्राम देवरी । | 336 | 11 - 00 | |
| 13- | 1/821861 | सत्यनारायण, दीपचन्द, कमल-
प्रताप पि० भैरू, दामोदर पुत्र
भैरू ग्राम देवरी । | 349 | 20 - 10 | |
| 14- | 1/821871 | भौरिया पुत्र गणेश 1/2,
प्रभुदयाल पुत्र पन्नालाल 1/2,
ग्राम देवरी । | 350 | 20 - 13 | |
| 15- | 1/821881 | श्री बाबू पुत्र नाथू 1/2,
भौरिया पुत्र नानगा 1/2,
ग्राम देवरी । | 353 | 21 - 07 | |
| 16- | 1/821891 | गोपी पुत्र नाथू ग्राम देवरी | 355 | 22 - 04 | |
| 17- | 1/821931 | भागचन्द, प्रताप पुत्र ब्रूँथा
ग्राम देवरी । | 367 | 18 - 18 | |
| 18- | 1/821941 | श्री मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव
सरजू देवा रामदेव, हि. 1/2,
चुन्नीलाल, गंगल पुत्र धन्ना ग्राम
देवरी । | 368 | 21 - 10 | |
| 19- | 1/821971 | श्री लादू, किशना, आनन्दा पुत्र
भूरा, ग्राम देवरी । | 374 | 12 - 05 | |
| 20- | 1/821991 | श्री गोपाल पुत्र विरदा
ग्राम देवरी | 379 | 8 - 08 | |
- क्रमः--5--

कुमशः--5--

अधिकारी
राज्य शाखासन विभाग
जयपुर



---:544

1-	2-	3-	4-	5-	6-
21-	1/0211021	श्री रामनारायण चौधरी मानपुर	351/429	12	- 100
		देवरी उर्फ गोल्यावात ।			
			352/424	3	- 00
			371/427	1	- 00
			353/428	1	- 09
			370/426	1	- 12
				19	- 01

नोट:- खसरा नं०-353/428 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा नं०-370/426 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ।

22- 1/02111 पार्ट-131 - ग्राम सुखालपुरा :-

अ- श्री कजोड, मंगलचन्द विरदीचन्द 212/1 6 - 04
बुढराम, रामचन्द्र, मोहन पुत्र 213/1 9 - 06
भगता ।

व- मोहरू पुत्र चन्दा 212/2 7 - 11
213/2 8 - 09

स- रामू पुत्र रंगनाथ, गणेश पुत्र 218/1 4 - 04
218/2 20 - 05
नाथी देवा वक्ता, घीसी पुत्री
वक्ता ।

नोट:- स्थगन आदेशों के कारण इन खसरा नम्बरों का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ।

सहायक
न्यायाधीश एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

5- इन सभी मामलों में विशेष बात यह है कि इन सभी मामलों में न्यायालय के स्थगन आदेश मानते हुये मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही रुकी हुई थी। माह सितम्बर, 1988 में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस न्यायालय को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि इन मामलों में स्थगन -

क्रमशः -- "6--

64

---:67:---

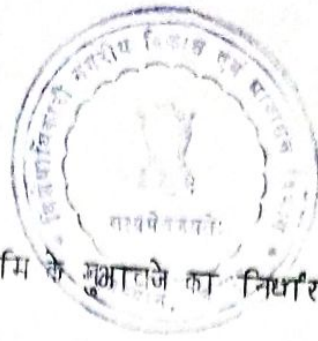
आदेश नहीं है। तथा कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जाकर मामलों को प्रीप्रातिशीघ्र निष्पत्ति किया जाये। उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सभी पत्रावलियों में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं सुना जाकर मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गयी।

6- उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में तो उपरोक्त खातेदारों के नाम अंकित है किन्तु न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित खातेदारों के साथ पत्र व अनुबन्ध पत्र आदि प्रस्तुत किये गये जिनमें सम्बन्धित खातेदारों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह भूमि उनके द्वारा समिति को विक्रय कर दी गयी है। आगे समस्त कार्यवाही हेतु समिति को पूर्ण अधिकार है। अतः इस आधार पर इन मामलों में समिति को इन्ड्रेस्टेड पर्सन माना गया एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। केवल वाद संख्या: 1/02167 व 1/0211 पार्ट-13 व 1/02160 1/3 भाग में समिति द्वारा प्रस्तुत पत्रादि अपूर्ण होने के कारण खातेदारों के हक में कार्यवाही की जाती है।

7- उपरोक्त सुनवाई के दौरान समिति द्वारा अपने क्लेम पेश किये गये जो पत्रावलियों में संलग्न है, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा क्लेमों का जवाब पेश किया गया तथा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स आदि के तकमीने पेश किये गये जो सम्बन्धित पत्रावलियों में संलग्न है।

8- मेरे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वह सुनी गयी। तत्पश्चात् मौका मुआवजा भी किया गया। यह भूमि राजस्थान आवासन मण्डल मानसरोवर-प्रथम योजना से सम्बन्धित है इस योजना की अन्य कई मामलों में भूमि के अवार्ड जारी किये जा चुके हैं जिनमें राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान किया जा चुका है। मैं वर्तमान मामलों में भी पूर्व में दी गयी दर को ही उचित मानता हूँ। अतः वर्तमान मामलों में भी अतिरिक्त भूमि की दर पूर्व की यानि 19,000/- रुपये प्रतिवीघा, सिंचित भूमि की दर रुपये-20,000/- रुपये प्रतिवीघा तथा रोड़ के किनारे स्थित भूमि का रुपये-1000/- प्रतिवीघा अतिरिक्त दिया जाना न्यायोचित मानता हूँ।

क्रमांक:-7-



67

-----:7:-----

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर भूमि के मुआवजे का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:-

1- वाद संख्या:-1/021421:-

1- कुल भूमि रकबा 40वीघा का मुआवजा रुपये-20,000/-
प्रतिवीघा की दर से रुपये- 8,40,000.00

2- कूरें, पेड़, मोरिंग, फका निर्माण का
तकमीना राज0आ0मण्डल के अनुसार: 1,60,824.85

10,00,824.85

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 3,02,647.44.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

2- वाद संख्या:-1/021731:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीघा01विस्वा का मुआवजा रुपये-
19,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 2,09,950.00

2- डोला, पेड़ आदि का तकमीना राज0आ0मण्डल के
अनुसार रुपये-

1,041.52

2,11,791.52

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,537.46

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

3- वाद संख्या:-1/021741

1- कुल भूमि रकबा 11वीघा 17विस्वा का मुआवजा
रुपये-20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 2,37,000.00

2- डोले, पेड़, रसीपाईप, झोपड़ी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 7,412.20

2,44,412.20

क्रमशः-8-

निरीक्षक
राजस्थान एवं आवासन विभाग
जयपुर



69

---:8:---

3- 30% सोलेक्विम की राशि रुपये- 73,323.66
उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

4- वाद संख्या:- 1/821751:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 07 बिस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/- प्रतिघा की दर से रुपये- 2,47,000.00
2- कूर, पेड, डोले, झौपडी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 30,364.90

2,77,364.90

3- 30% सोलेक्विम की राशि रुपये- 83,209.47

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

5- वाद संख्या:- 1/821761:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 08 बिस्वा का मुआवजा
रुपये 19,000/- प्रतिघा की दर से रुपये- 2,35,600.00
2- डोला, पेड आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल
के अनुसार रुपये- 1,937.50

2,37,537.50

3- 30% सोलेक्विम की राशि रुपये- 71,261.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

प्रो. अधिकारी
राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर

6- वाद संख्या:- 1/821771:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीं घा का मुआवजा रुपये- 19,000/-
प्रतिघा की दर से रुपये- 2,09,000.00

क्रमशः-9--

---:9:---

69

- 2- डोले, पेड़, आदि का तकमीना राजस्थान मण्डल के अनुसार रुपये-

2,015.20

2,11,015.20

- 3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,544.56

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

- 7- वाद संख्या:- 1/021781:-

- 1- कुल भूमि रकबा 11वीं घा 15दिस्वा का मुआवजा रुपये-

19,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 2,23,250.00

- 2- डोले, पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान

आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 1,357.50

2,24,607.50

- 3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 67,302.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

- 8- वाद संख्या:- 1/021791:-

- 1- कुल भूमि 23वीं घा 10दिस्वा का मुआवजा रुपये-20,000/-

प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 4,70,000.00

- 2- कूआँ, एसीपाईप, डोला, पेड़, झौपड़ी आदि

का तकमीना राजस्थान मण्डल के अनुसार रु. - 25,723.57

4,95,723.57

- 3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,40,717.07

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

क्रमशः-10-

आवासन विभाग
जयपुर

---:10:---



70

9- वाद संख्या: 1/821801:-

- 1- कुल भूमि रकबा 26वीं घा 05 विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 5,25,000.00
- 2- कूआँ, डोला, पेड़, घुमटी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु - 45,317.35

5,70,317.35

- 3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,71,095.20

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी।

10- वाद संख्या:- 1/821811:-

- 1- कुल भूमि रकबा 22वीं घा 07 विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 4,47,000.00
- 2- कूएँ, डोल, पेड़, झोपड़ी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 41,184.05

4,88,184.05

- 3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,46,455.21

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी।

11- वाद संख्या:- 1/821821:-

- 1- कुल भूमि 11वीं घा 10 विस्वा का मुआवजा रुपये-
19,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 2,18,500.00
- 2- डोले व पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 718.75

2,19,218.75

कुमारा:- 11--

अधीक्षक
राजस्थान एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर



21

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 65,785.62
उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

12- वाद संख्या:- 1/821031:-

1- कुल भूमि 11 बीघा का मुआवजा रुपये- 19,000/-
प्रतिबीघा की दर से रुपये- 2,09,000.00
2- पेड़, डोले आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 1,901.17

2,10,981.17

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,294.35

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

13- वाद संख्या:- 1/821061:-

1- कुल भूमि रकबा 20 बीघा 10 गिस्ता का मुआवजा रुपये-
20,000/- प्रतिबीघा की दर से रुपये- 4,10,000.00
2- कूँ, डोला, झोपड़ी, धोरा पेड़, आदि का
तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 33,200.00

4,43,200.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,32,960.18

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

वाद संख्या:- 1/821071:-

1- कुल भूमि रकबा 20 बीघा 13 गिस्ता का मुआवजा
रुपये- 20,000/- प्रतिबीघा की दर से रुपये- 4,13,000.00
2- डोला, कुआँ, टैंक, पेड़, झोपड़ी आदि का
मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के
अनुसार रुपये- 35,665.90

क्रमशः -12-

अधिकारी
आवासन एवं आवासन विभाग
जयपुर

---:12:---



19

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये-

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

15- वाद संख्या:- 1/021001:-

1- कुल भूमि रकबा 21वीं घा 07 बिस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 4,27,000.00

2- कूँ, पेड़, झौपड़ी आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

44,639.00

4,71,639.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,41,491.96.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

16- वाद संख्या:- 1/021091 :-

1- कुल भूमि रकबा 22वीं घा 01 बिस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 4,41,000.00

2- कूँ, डोले, पेड़, झौपड़ी, रसीपाईय आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

38,023.90

4,79,023.90

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,43,707.17

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर

18- वाद संख्या:- 1/021931:-

1- कुल भूमि रकबा 10वीं घा 10 बिस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये-- 3,70,000.00

क्र.सं:-13--



-----:13:-----

2- कुआँ, पेड़, डोले आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

25,153.37

4,03,153.37

3- 30% सोलेफियम की राशि रुपये- 1,20,946.01

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

19- वाद संख्या:- 1/021941:-

1- कुल भूमि रकबा 21वीं घा 10 बिस्वा का मुआवजा

रुपये-20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 4,30,000.00

2- कूँ, डोला, एसी पाईप, निर्माण आदि का

तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

39,506.49

4,69,506.49

3- 30% सोलेफियम की राशि रुपये- 1,40,851.94

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

20- वाद संख्या:- 1/021971:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 05 बिस्वा का मुआवजा रुपये

20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 2,45,000.00

2- कूँ, डोला, पेड़, झोपड़ी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 31,033.47

2,76,033.47

3- 30% सोलेफियम की राशि रुपये- 82,810.04

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

अधीक्षक
आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर



14

---:14:---

21- वाद संख्या:-1/021091:-

- 1- कुल भूमि 0वींघा00विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 1,68,000.00
- 2- डोला, कूआँ, पेड़, झौपड़ी आदि का मुआवजा
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूप- 22,159.00
- 3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 57,047.70

1,90,159.00

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

22- वाद संख्या:-1/0211021:-

- 1- कुल भूमि रकवा 16वींघा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 3,20,000.00
- 2- कूआ, पेड़, डोला, टैंक, रसीपाईय आदि का
तकमीना रा2आ0मण्डल के अनुसार रुपये- 35,486.00
- 3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 1,06,645.00

3,55,486.00

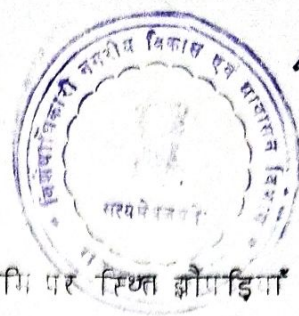
उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

23- वाद संख्या:-1/02111पार्ट-131:-

- अ-1- कुल भूमि रकवा 15वींघा10विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 3,10,000.00
- ब- कुल भूमि रकवा 20वींघा05विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 4,04,000.00
- स- कुल भूमि रकवा 20वींघा 05विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/- प्रतिवींघा की दर से रुपये- 4,05,000.00

सिक्कारी
राज आवासन विभाग
जयपुर

-----:15:-----



राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त भूमि पर स्थित झोंपड़ियाँ
कूआँ, टैंक, पेड़ आदि का सम्मिलित तकमीना रु. 56,423.90 का प्रस्तुत
किया है, जो खातेदारों को उनके अपने अपने हिस्से के अनुसार देय होगा,
तथा भूमि की कीमत व हिस्सेदार तकमीना जोड़कर 30% तोलेक्षण राशि
व ब्याज आदि का नियमानुसार देय होंगे जिनकी गणना राजस्थान आवासन
मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

उपरोक्त अर्दाई राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन
विभाग ग्राम-उपविभाग के पत्र क्रमांक: 507/72 नविआ/3/81 दिनांक 31-12-80
के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है।
अतः आज दिनांक 21-12-80 को भूमि के सुआवजे का अर्दाई उपरोक्तानुसार
घोषित किया जाता है। इसकी प्रतियाँ सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित
हैं।
राजस्थान, जयपुर

अर्दाई सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं
न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया ।

विशेष अधिकारी,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर ।
- 2- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- तहसीलदार -----
- 4- सम्बन्धित खातेदार श्री

विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर
राजस्थान, जयपुर ।